न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–196 / 2015
GCMS No. - 2016/00108

1. जे.के सीमेन्ट प्रोपराईटर जे.के सीमेन्ट लि० कमला टावर कानपुर द्वारा यूनिट हेड एस. के राठौड, पॉवर ऑफ एटॉर्नी हॉल्डर जे. के सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ –वादी

बनाम

1. श्री भेरुलाल पिता कनीराम कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती दाखी बाई पत्नी उंकार लाल प्रजापत निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. मुन्नी बाई पत्नी भेरूलाल कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. श्री मोहन लाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती गीता बाई पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
6. श्रीमती धापू बाई पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. श्री उंकार पिता किशन लाल कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़
8. श्री देवीलाल पिता प्यारा जी कुम्हार निवासी मांग्रोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
9. श्रीमती शान्ति बाई पिता प्यारा जी कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
10. श्रीमती पपली बाई पिता प्यारा जी कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
11. श्रीमती लीला पिता प्यारा जी कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
12. श्रीमती गंगा बाई पिता प्यारा जी कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
13. श्रीमती कस्तूरी बाई बेवा प्यारा जी कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
14. श्रीमती वाली बाई पुत्री किशन जी [illegible] जी कुम्हार निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible]दय, निम्बाहेडा

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

::निर्णय ::

दिनांक 01.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई वाके मौजा मांगरोल तहसील निम्बाहेडा के आराजी नं० 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा लगानी 13 रूपये 63 पैसे, आराजी नं0 200 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा लगानी 1 रूपये 68 पैसे, आराजी नं0 1532 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा लगानी 13 रूपये 31 पैसे है। यह कृषि आराजियात पूर्व में किशना पिता पेमा जी कुम्हार निवासी मांगरोल की खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके मरने के बाद यह आराजियात इन्तकाल नम्बर 340 जिसका नामान्तरण संख्या 2073 है, के द्वारा वादी के नाम स्वीकार होकर दर्ज हुआ।

2. आराजी नं0 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नं० 200 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि किशना जी कुम्हार के वारिसान मांगीलाल, प्यारा और उंकार के नाम जो विरासत का नामान्तरण हुआ और इन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, इस आराजी नं0 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि और आराजी नं0 200 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि उक्त खातेदारों ने स्वेच्छा से राज० सरकार के पक्ष में सरेण्डर की, समर्पित की और उनके समर्पण से यह भूमि राजस्थान सरकार के नाम बिलानाम सरकार दर्ज हुई और उसके बाद नियमानुसार वादी जे. के सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा मांगरोल में सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन की प्रार्थना की और राज० सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रसारित उद्योग विभाग के आदेश कमांक/पचा. (85)/1/89 दिनांक 07.11.1985 से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ की और उद्योग स्थापना हेतु राज० उद्योग आवंटन नियम 1959 के नियम 1 (ए) 2 राज० भू० राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अधीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया तथा जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के पत्र कमांक/राजस्व/12–3(19) (ए)/85/1003 दिनांक 20.08. 1986 से वादी जे.के सीमेन्ट वर्क्स मांगरोल के नाम 99 साल की लीज दी गई जो नामान्तरण संख्या 1659 दिनांक 02.10. 2000 से वादी के नाम पर दर्ज है।

3. किशना पिता पेमा कुम्हार की वारिस वाली बाई ने नामान्तरण संख्या 340 की एक अपील बगैर जे.के सीमेन्ट वादी को पक्षकार बनाये इस न्यायालय में पेश की जिसका मुकदमानम्बर 15/2008 होकर दिनांक 05.02.2009 को यह अपील स्वीकार की गई और नामान्तरण संख्या 340 निरस्त कर इसे तहसीलदार साहब निम्बाहेडा के पास रिमाण्ड कर दिया और तहसीलदार निम्बाहेडा ने नामान्तरण संख्या 340 की बगैर जाँच किए और बगैर वादी जे.के सीमेन्ट को सुने पुनः नामान्तरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 को खोल दिया जिसके विरूद्ध वादी ने वापस नामान्तरण की अपील की जिसका नम्बर 14/2010 पड़ा तथा जिसका निर्णय दिनांक 26.03.2012 को हुआ और दिनांक 26.03.2012 को नामान्तरण संख्या 2590 को निरस्त कर पुनः तहसीलदार निम्बाहेडा को रिमाण्ड कर दिया जिस पर तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने यहाँ प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 47/2012 में पूर्ववर्ती आदेश को बहाल रखा और वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में हुए अंकन को निरस्त कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:42 IST
Reason: SelfAttested

4. वादी के नाम वादपत्र की चरण संख्या 2 के अनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में अंकन हुआ है और उसके खिलाफ कोई अपील सक्षम अधिकारी के यहां पर नहीं हुई और वैसे भी भूमि अवाप्ति अधिनियम के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिगृहण करने के बाद राजस्थान सरकार के द्वारा से वादी के नाम आवंटन होने के बाद जो नामान्तरण संख्या 1659 दिनांक 02.10.2000 के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक आवंटन आदेश निरस्त नहीं हो तब तक राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों को नहीं बदला जा सकता फिर भी प्रतिवादी संख्या 16 ने इस दृष्टिकोण पर विचार किए बगैर वादी के नाम आवंटित भूमि को गलत तरीके से राजस्व अभिलेखों में मृतक किशना पिता पेमा के नाम पर दर्ज कर एवं अन्य प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज करने का प्रयास किया जिससे वादी को यह दावा आप न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है।

Scanned by CamScanner

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 व 3 की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री किए जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 14 की और से अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण पूर्व में ही श्रीमान के न्यायालय से विचारण होकर निर्णय हो चुका है जिसकी अपील वादी की और से जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ में विचाराधीन है जिसके प्रकरण सं० 16/2012 है इसलिये उक्त वादग्रस्त संपति व पक्षकार समान होने से उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में कानूनन रूप से नही चल सकता है। किन्तु वादी द्वारा तथ्य छीपा कर उक्त वाद पेश किया है वह कानूनी रूप से खारीज होने योग्य होन से खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

6. उक्त प्रकरण में दिनांक 22.02.2021 को निम्न तनकीयात कायम की गयी जो निम्नानुसार हैः–

तनकी नं. 1ः– आया वादी कम्पनी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित अनुसार आराजी नं. 197, 200 एवं 1532 में राजस्व अभिलेखों में अंकित अनुसार 20/177 हिस्सा बदस्तुर कायम रखने की अधिकारी है?

जिम्मे वादी

तनकी नं. 2ः– आया वादी कम्पनी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है?

– जिम्मे वादी

तनकी नं. 3ः– आया तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण सख्या 47/12 में दिया गया निर्णय सही है, इसलिए वादी को यह वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है?

– जिम्मे प्रतिवादी संख्या 14

तनकी नं. 4ः– आया वादी प्रतिवादी संख्या 14 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

– जिम्मे प्रतिवादी संख्या 14

सहायता एवं व्यय।

7. वादी की और से मौखिक साक्ष्य में वादी पवन कुमार पीडब्लू 1 के गवाह शपथ पत्र पेश किए जिसकी जिरह की गई व दस्तावेज को प्रदर्श कराए गए। पत्रावली में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस के आधार पर तनकीवार निर्णय किया जा रहा है तथा बहस में वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

i. राजो देवी बनाम लेखाराम न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की प्रति दिनांक 14.01.2020
ii. बालकिशन बनाम रतनलाल आर.आर.डी [illegible] निर्णय दिनांक 21.12.1984

तनकीयात नंबर 1,2 को साबित करने का भार [illegible] था।

तनकी नम्बर 1 :– यह तनकी [illegible] भार वादी पर था । वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में विक्रय पत्र प्रस्तुत किए । व[illegible] द्वारा वाके मौजा मांगरोल की कृषि भूमि आराजी न. 1532 में से । बिस्वा भूमि दिनांक 26.04.1996 को तथा 6 बिस्वा भूमि दिनांक 21.05.1996 उंकारलाल पिता किशना कुम्हार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदी इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकार इसी आराजी कि 13 बिस्वा भूमि रूपचंद पिता बगदीराम कुम्हार से दिनांक 26.04.1996 ज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी। मांगीलाल, प्यारा, अंकार पिता किशना ने. मांगरोल ग्राम की आराजी संख्या 197 व 200 खातेदार काश्तकार के रूप में यह भूमि नियमानुसार राजस्थान सरकार को समर्पित की है और समर्पण के बाद यह भूमि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक 81 दिनांक 1.06.1887 से जे.के. सीमेंट वर्क्स को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अलॉट की गई। वर्तमान में उक्त आराजियात जे.के. सीमेंट वर्क्स के पास है एवं कब्जा भी जे.के. सीमेंट वर्क्स का ही है। प्रतिवादी ने इस प्रकरण में खण्डन साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा प्रतिवादी ने अलाटमेंट आदेश के विरुद्ध भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की है। अलाटमेंट व विक्रय पत्रों को प्रतिवादी ने अपने स्तर पर चैलेंज नहीं किया है ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जबकि वादी ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा इस तनकी को प्रमाणित किया है इसलिए तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में साबित होती है।

तनकी नम्बर 2

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। यह कि तनकी नम्बर 1 द्वारा विवादित भूमि में प्रथम दृष्टया वादी जे.के सीमेंट का स्वामित्व एवं आधिपत्य साबित हो चुका है और तनकी न.। निर्णय भी वादी के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है ऐसी सूरत में वादी की विवादित भूमि में प्रतिवादी गणों को किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है। इसलिए तनकी न. 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 व 4

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिए कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया, इसलिए तनकी नम्बर 3 व 4 प्रतिवादी के विरुद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

आदेश

अनुतोष अनुसार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त यह साबित होता है कि समस्त तनकीयात वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा तथा प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकीयात को साबित कराने में असफल रहा इसलिए वादी का वाद अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मांगरोल की विवादित भूमि आराजी न. आराजी न. 1532 के 20/177 वें हिस्से जिसका वह खातेदार काश्तकार है बदस्तुर उनकी खातेदारी में बना रहेगा व आराजी न. 197 व 200 की भूमि जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ जे.के. सीमेंट के नाम है वह बदस्तुर रखे जाने का अधिकारी है। इसी अनुसार वादी का वादपत्र वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के द्वारा उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावे।। निर्णय अनुसार पृथक से डिक्री मूर्तिब हो । तहसीलदार, निम्बाहेड़ा [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को [illegible] जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner